फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री भेरूलाल

विपक्षी : श्री सवाईराम

किस्म मुकदमा – 188 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 119/15

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 02.03.2020 पत्रावली वादी मय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है एवं हमारे मध्य अब विवाद नहीं है। इसलिए वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वाद विड्रो किया जाने का निवेदन किया। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। हमने वादी की बहस सुनी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। (शैलेष खैरवा) सहायक कलक्टर (FT) मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2020.03.03 16:31:02 IST
Reason: SelfAttested